संख्या- 4/2018/2760/33-3-2017-02/2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक- 12 फरवरी, 2018

विषय:-14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान के लिए पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार से जारी दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-एन0-11011/ 42017-एफ0डी0, दिनांक-29 सितम्बर, 2017 द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए 14वें वित्त आयोग की परफारमेन्स ग्राण्ट के वितरण हेतु योजना को अन्तिम रूप दिया गया है, जिसे वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2- वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक-18 अक्टूबर, 2015 के मार्ग-निर्देशों में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा उचित योजना बनाने के बाद ही व्यय को वहन करना होगा और सभी हितधारकों को निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय सूचना तक पहुच बनाने और साथ ही स्थानीय स्व-शासन, ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) और प्लान प्लस पर इसको अपलोड और पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के डैशबोर्ड पर व्यय प्रदर्शन को निष्पादन अनुदान के लिए अनिवार्य मानदंड के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

3- 14वें वित्त आयोग के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनायी जा चुकी है, जिसके अनुसार धनराशि ग्राम पंचायतों की जनता के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सीधे ग्राम ग्राम पंचायतों को उपलब्ध हो सकेगी। स्वच्छता और जनस्वास्थ्य किसी भी ग्राम पंचायत के विकास के लिए आधारभूत सेवायें है। इस दिशा की ओर 14वें वित्त आयोग के उद्देश्यों को निष्पादित करने हेतु हेतु वास्तविक रूप देने का प्रयास किया गया है। इस क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के प्रयासों का आँकलन करने के लिए उचित संकेतकों को भी शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु 14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान अवमुक्त करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा सिफारिश करने के क्रम में शासनादेश संख्या- 846/33-3-2016-02/2016 दिनांक 31.03.2016 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

- निष्पादन अनुदान की अवधि-वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए 14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान के उद्देश्यों के लिए यह अधिसूचना जारी की जा रही है।
- निष्पादन अनुदान हेतु निर्धारित मानक-प्रदेश में ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान की मात्राकृत धनराशि का निर्धारण उनकी उपलब्धियों के आंकड़ों एवं योग्यता हेतु संलग्नक-1 पर दिये गये प्रदत्त मानकों पर आवश्यक मूल्यांकन करते हुए ग्राम पंचायतों को वितरित की संलग्नक-1 के अनुसार पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नवत् 04 मानकों को करने वाले ग्राम पंचायतों को ही अंक प्राप्ति हेतु अर्ह व पात्र घोषित किया जायेगा-

- ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होंगे जो कि उस वर्ष, जिसमें ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से पिछले दो वर्षों (वर्ष 2014-15 व 2015-16) से अधिक पुराने न हो।
- ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोत्तरी दर्शानी होगी जैसा संपरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया है (वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 की स्थिति)
- कार्य निष्पादन अनुदान के वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को पूरा करना तथा प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड करना।
- कार्य निष्पादन अनुदान का दावा किए जाने वाले वर्ष के पूर्व के वर्ष 2016-17 का चौदहवें वित्त आयोग अनुदान का कार्यवार व्यय पंचायती राज मंत्रालय के डैश बोर्ड/बेवसाइड पर दर्शाना।

पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त मानक, निष्पादन अनुदान प्राप्ति हेतु अनिवार्य घोषित किये गये है, जिनकों पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायत को भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अनुबन्ध-1 में अंक प्राप्ति के अनुरूप निष्पादन अनुदान की धनराशि का मात्राकृत प्रतिशत तय किया जा सकेगा।

- प्रचार-प्रसार-समस्त जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास खण्ड तथा सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से एवं समाचार पत्रों में नि:शुल्क विज्ञप्तियों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। ग्राम पंचायतें वर्ष 2017-18 में 14वें आयोग के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान की प्राप्ति हेतु विभागीय आंनलाइन पोर्टल पर ही आवदेन करना अनिवार्य होगा एवं समस्त साक्ष्यों को डिजीटल फार्म में उक्त पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
- आवदेन की प्रक्रिया-निष्पादन अनुदान के मात्राकृत वितरण हेतु विभागीय आनलाइन पोर्टल विकसित विकसित किया जा रहा है, जिसकी सूचना निदेशक, पंचायतीराज द्वारा समस्त जनपदों को पृथक पृथक से उपलब्ध करा दी जायेगी। ग्राम पंचायतें, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से विभागीय आंनलाइन पोर्टल का अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के उपरान्त पोर्टल पर निष्पादन अनुदान प्राप्ति हेतु स्वत: ही आनलाइन आवेदन करेंगी। ग्राम पंचायत द्वारा बार लॉग इन करने के बाद पासवर्ड परिवर्तित कर सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा।

  आवेदन का प्रारूप ग्राम पंचायतों के अवलोकन हेतु पोर्टल पर डाउनलोडेबल फार्म में उपलब्ध है। डाउनलोडेड प्रारूप की सहायता से ग्राम पंचायतें उक्त पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करेंगी तथा दिये गये विवरणों के सम्बंध में साक्ष्य यथा आडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-2015-16 आदि पी0डी0एफ0 फाइल में अंकित/अपलोड करेंगी। आवेदन में भरे गए आकड़ों आदि आदि की पुष्टि के उपरान्त प्रपत्र को ग्राम पंचायतें आनलाइन फ्रीज करेंगी, प्रधान एवं सचिव का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे नियत प्रारूप पर सही सूचनाएं तथा अभिलेख/साक्ष्य पोर्टल पर समयबद्ध रूप से अपलोड करेंगी। फ्रीज करने के उपरान्त आकड़ों में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- आवेदनों का जनपद स्तर पर परीक्षण-ग्राम पंचायतों के आवेदन पत्रों को समय से भरकर प्राप्त किए जाने का उत्तरदायित्व जिला पंचायत राज अधिकारी तथा सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) का होगा। आनलाइन माध्यम से जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदनों की सूचनाओं व प्राप्त अंको का अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण कर प्रत्येक ग्राम पंचायत के चारों मानकों के पूर्ण करने तथा वास्तविक प्राप्तांकों का संलग्न सारिणी में पोर्टल पर अंकन करने हेतु

निम्न त्रिसदस्यीय समिति उत्तरदायी होगी। यह समिति जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में त्रुटिहीनता व समयबद्धता से कार्य करेगी। समिति का विवरण निम्नवत है:-

1- मुख्य विकास अधिकारी -अध्यक्ष

2- अपर मुख्य अधिकारी -सदस्य

3- जिला पंचायत राज अधिकारी -सदस्य/सचिव

उक्त समिति ग्राम पंचायतों द्वारा दी गयी सूचनाओं की सत्यता व अभिलेखों/साक्ष्यों का परीक्षण कर अर्ह व पात्र ग्राम पंचायतों के प्राप्तांकों की सूची पोर्टल पर जनपद स्तरीय नियत सारणी में की जाएगी। आवेदित ग्राम पंचायत का विवरण अर्थात अर्हता व प्राप्तांकों को अंकित करने के उपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारी के लागइन पासवर्ड से जनपद स्तर के मूल्यांकन का विवरण फ्रीज किया किया जायेगा। जनपद स्तरीय समिति द्वारा फ्रीज करने के उपरान्त जनपद के ग्राम पंचायत के अर्हता/प्राप्तांकों की विवरण सूची पोर्टल से डाउनलोड कर प्रिन्ट करने के उपरान्त प्रारूप/विवरण पर समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर हस्ताक्षरित प्रति पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में पोर्टल पर अपलोड की जाएगी तथा यह विवरण सूची दो मूल प्रतियों में निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्राम पंचायतों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक-22.02.2018 तथा परीक्षणोंपरान्त सूचियां निदेशक, पंचायतीराज को दिनांक-28.02.2018 तक साफ्ट व हार्डकापी में अनिवार्यत: उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे आवेदनकर्ता ग्राम पंचायत का समस्त अभिलेखीय साक्ष्य विवरण (जिसके आधार पर ग्राम पंचायत को पात्रता व अंको का निर्धारण किया है) जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में अभिरक्षित किया जाना जाना सुनिश्चित करेंगे।

- आनलाइन पोर्टल पर प्रशिक्षण-समस्त जनपदीय एवं मण्डलीय डी0पी0एम0 का उक्त आवेदनों भरने व अन्य जानकारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण निदेशालय पर आहूत किया जायेगा, जिसके तत्काल बाद जनपद स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पं0) तथा सचिव ग्राम पंचायतों पंचायतों का एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहूत किया जायेगा।

उपरोक्त प्राप्त सूचनाओं के समयबद्ध संकलन, निर्णय लेने, प्रदत्त सूत्र के अनुसार धनराशि वितरण तथा प्रेषण हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-

1- निदेशक पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश -अध्यक्ष

2- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज, निदेशालय -सदस्य

3- उपनिदेशक(पं0), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) -सदस्य

4- उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, 14वें वित्त आयोग -सदस्य/सचिव

इस सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि हेतु का अनुबन्ध-2 में प्राप्त मानक के अनुसार चार अनिवार्य पात्रता वाली अर्ह ग्राम पंचायतों के प्राप्तांकों की सूची के स्तर के आधार पर सर्वप्रथम विभाजित किया जाएगा। तदोपरान्त प्रत्येक स्तर हेतु धनराशि चिन्हांकित करते हुए हुए उनका ग्राम पंचायतों के मध्य वितरण कुल जनसंख्या व अनुसूचित जाति/जन जाति की जनसंख्या जनसंख्या के 80:20 के अनुपात में किया जाएगा।

अतएव उपरोक्तानुसार निर्देशों का बिन्दुवार पालन करते हुए परफारमेन्स ग्राण्ट वर्ष 2017-18 हेतु अर्ह एवं पात्र ग्राम पंचायत की सूची के आधार पर ग्राम पंचायतवार प्राप्तांकों को निर्धारित करते हुए आवंटित धनराशि का वितरण निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुरूप किया जाएगा।

कृपया उक्त निर्देशों का समयबद्ध ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभ एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8- समस्त जिलाधिकरी, उ0प्र0।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।
11- समस्त जिला पंचायत अधिकारी उ0प्र0।

आज्ञा से
(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

**अनुबंध-1**

**भारत सरकार**

**पंचायती राज मंत्रालय**

**वर्ष 2017-18 के लिए ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य निष्पादन अनुदान के संवितरण हेतु मूल्यांकन मानदंड**

**1.कार्य निष्पादन अनुदान के अपने हिस्से की पात्रता पर विचार करने के लिए ग्राम पंचायतों को अनिवार्य रूप से निम्न शर्तों को पूरा करना होगा:-**

| क्र.सं. | अनिवार्य मापदंड | अधिभार | पात्रता की स्थिति (हाँ/नहीं) |
|---|---|---|---|
| i | ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होंगे जो कि उस वर्ष, जिसमें ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से पिछले दो वर्षों (वर्ष 2015-16 व 2016-17) से अधिक पुराने न हो। | अनिवार्य | |
| ii | ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोत्तरी दर्शानी होगी जैसा संपरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया है। (वर्ष 2015-16 के सापेक्ष वर्ष 2016-17 की स्थिति) | अनिवार्य | |
| iii | कार्य निष्पादन अनुदान के वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को पूरा करना तथा प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड करना | अनिवार्य | |
| iv | कार्य निष्पादन अनुदान का दावा किए जाने वाले वर्ष के पूर्व के वर्ष 2016-17 का चौदहवें वित्त आयोग अनुदान का कार्यवार व्यय पंचायती राज मंत्रालय के डैश बोर्ड/ बेवसाइट पर दर्शाना | अनिवार्य | |

**नोट:-पात्रता की स्थिति आवेदक द्वारा भरी जाएगी।**

**2. ग्राम पंचायतें, जिन्होंने उपर्युक्त चार मानदंडों को पूरा कर लिया है का मूल्यांकन नीचे दिये गए अंकन पद्धति के अनुसार किया जायेगा।**

| क्र. सं. | मानदंड वर्ष वित्तीय वर्ष के रूप में | ग्राम पंचायत का स्वयं का राजस्व वर्ष 2015-16 | ग्राम पंचायत का स्वयं का राजस्व वर्ष 2016-17 | स्वयं के राजस्व में वर्ष 2015-16 के सापेक्ष 2016-17 में वृद्धि की मात्रा प्रतिशत में | अधिभार | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अंक | |
| | >0 से 10 प्रतिशत तक | | | | 05 | |
| | >10 से 25 प्रतिशत तक | | | | 10 | |
| | >25 से 50 प्रतिशत तक | | | | 15 | |

http://bhasanadesh.up.nic.in

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | >50 प्रतिशत तक | | | | 20 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ii | कार्य निष्पादन अनुदान के दावे के पिछले वर्ष 2016-17 के चौदहवें वित्त के मूल अनुदान से लेखा परिक्षित लेखाओं के अनुसार अनुसार स्वयं के राजस्व की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि | 14वें वित्त आयोग के मूल अनुदान से | | | अंक | प्राप्तांक |
| | | वर्ष 2015-16 में स्वयं का राजस्व | वर्ष 2016-17 में स्वयं का राजस्व | राजस्व मात्रा में प्रतिशत वृद्धि | | |
| | >0 से 10 प्रतिशत तक | | | | 15 | |
| | >10 से 20 प्रतिशत तक | | | | 20 | |
| | >20 से 30 प्रतिशत तक | | | | 30 | |
| | >30 प्रतिशत तक | | | | 40 | |
| iii | निष्पादन अनुदान दावे के वर्ष की तुलना में पूर्व वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत की खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की | | | | | |
| | हां | | | | 30 | |
| | नहीं | | | | 0 | |
| iv | निष्पादन अनुदान के दावे के वर्ष की तुलना में पूर्व वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में टीकाकरण पूर्ण टीकाकरण (0-2 वर्ष की आयु) | | | | | |
| | हां | | | | 10 | |
| | नहीं | | | | 0 | |
| v | कुल अधिकतम अंक (i+ii+iii+iv) | | | | 100 | |

नोट:-प्राप्तांक आवेदक द्वारा भरे जाऐगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

अगले वर्ष से खुले में शौच मुक्त की निरंतरता खुले में शौच मुक्त बनने वाली ग्राम पंचायतों के लिए मानदंड होगा।

| | |
|---|---|
| सचिव का नाम | प्रधान का नाम |
| ग्राम पंचायत का नाम..... | ग्राम पंचायत का नाम..... |
| पदनाम..... | पदनाम..... |
| हस्ताक्षर..... | हस्ताक्षर..... |

.....

.....

<u>जनपद स्तरीय समिति की परीक्षणोंपरान्त बिन्दुवार टिप्पणी व अंक:-</u>

| 1- | अनिवार्य मापदण्ड(पूर्ण/अपूर्ण) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

क्या ग्राम पंचायत उक्त चार अर्हताओं को पूर्ण करती है।

हॉ/नहीं.....

| 2- | प्राप्त अंको का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| कुल प्राप्त अधिकतम अंक (i+ii+iii+iv) =V | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ह0 सदस्य/सचिव समिति | | ह0 अध्यक्ष समिति |
| जिला पंचायत राज अधिकारी | ह0 सदस्य | मुख्य विकास अधिकारी |
| जनपद..... | अपर मुख्य अधिकारी | जनपद..... |
| | जिला पंचायत..... | |

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुबन्ध-2

**एफएफसी निष्पादन अनुदान के आहरण के लिए जनपदों द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना का सांराश**

1. दावे का वित्तीय वर्ष:-2017-18
2. जनपद का नाम:.....
3. वैधानिक रूप से गठित ग्राम पंचायतों की संख्या अगले चुनाव की तारीख.....
4. जिस वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत के लिए निष्पादन अनुदान का आवंटन चाहिए:..
5. जिस वित्तीय वर्ष के लिए एफएफसी निष्पादन अनुदान का संवितरण होना है, उस वित्तीय वर्ष का संवितरण के मूल्यांकन का सूचना सारांश.....

5.1. अनिवार्य मानदंड की पात्रता

| क्रम संख्या | मूल्यांकन मानदंड | वैधानिक रूप से गठित ग्राम पंचायतों की संख्या | मानदंड के लिए योग्य पाए गए ग्राम पंचायतों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | .....वित्त वर्ष (दावा करने के वर्ष के सम्बन्धित वर्ष से दो साल से पहले का न हो) के लिए लेखा परीक्षित खातों की प्रस्तुति | | |
| 2 | .....वित्त वर्ष (दावा करने के वर्ष से सम्बन्धित) के लिए जीपीडीपी पूरी करना। | | |
| 3 | .....वित्त वर्ष (दावा करने के वर्ष से सम्बन्धित) के लिए सेक्टर वार एफएफसी व्यय पंचायती राज, मंत्रालय (एमओपीआर) के डैशबोर्ड/वेबसाइट यू0आर0एल पर दर्शाया गया हो। | | |
| 4 | .....वित्त वर्ष (क्रम संख्या 1 में वर्णित लेखा परीक्षित खातों के अनुसार) में अपने समाप्त हुए वित्त वर्ष ..... मे राजस्व संसाधनों (ओएसआर) में बढ़ोतरी। | | |

5-1 ग्राम पंचायतों की संख्या जो चारों अनिवार्य मानदंडों को पूरा करती हों(अंको व शब्दों में)

5-2 वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एफएफसी निष्पादन अनुदान के लिए ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन

| क्र.सं. | मूल्यांकन मानदंड | मानदंड के लिए योग्य पाए गए ग्राम पंचायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | >0 से 10 प्रतिशत तक ओएसआर में मात्रात्मक वृद्धि (क्रम संख्या 4 तालिका 5.1 के अनुसार)<br>>10 से 25 प्रतिशत तक<br>>25 से 50 प्रतिशत तक<br>>50 प्रतिशत | |
| 2 | वित्त वर्ष (दावा करने के वर्ष के पहले वर्ष से | |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | |
|---|---|---|
| | संबंधित)--- के लिए परीक्षित लेखा के अनुसार एफएफसी मूल अनुदान के संदर्भ में सृजित प्रतिशत ओएसआर<br>>0 से 10 प्रतिशत तक<br>>10 से 20 प्रतिशत तक<br>>20 से 30 प्रतिशत तक<br>>30 प्रतिशत | |
| 3 | वित्त वर्ष ---- ( दावा करने के वर्ष के पहले वर्ष से संबंधित) के लिए ग्राम पंचायतों की खुले में शौच मुक्ति की स्थिति। | |
| 4 | ग्राम पंचायतों में वित्त वर्ष --- (दावा करने के वर्ष के पहले वर्ष से संबंधित) के लिए टीकाकरण की स्थिति ( 0-2 वर्ष तक के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण) | |

**<u>जिला समिति का शपथ पत्र</u>**

**यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी, विवरण एवं सूची वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अधिसूचित योजना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत जानकारी के उपयुक्त मूल्यांकन के बाद उपलब्ध करायी गई है।**

| | | |
|---|---|---|
| ह0 सदस्य/सचिव समिति | ह0 सदस्य | ह0 अध्यक्ष समिति |
| जिला पंचायत राज अधिकारी | अपर मुख्य अधिकारी | मुख्य विकास अधिकारी |
| जनपद..... | जिला पंचायत..... | जनपद..... |

http://shasanadesh.up.nic.in

**5-3** ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान का विवरण:-नीचे दी गई तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार ग्राम पंचायतों को उनके अंक के आधार पर निष्पादन अनुदान का वितरण किया जाएगा।

| क्र.सं. | ग्राम पंचायत की श्रेणी | ग्राम पंचायतों की संख्या | योजना के अनुसार राशि (करोड़ रुपये में) का संवितरण | | कुल राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रारंभिक आवंटन | अवितरित राशि का का पुनर्वितरण | |
| 1 | प्राप्तांक 49 तक | | | | |
| 2 | प्राप्तांक 50 से 60 | | | | |
| 3 | प्राप्तांक 61 से 70 | | | | |
| 4 | प्राप्तांक 71 और उससे अधिक | | | | |
| | कुल | | | | |

पैरा-3 के अनुसार प्रयुक्त आवंटन के उपरान्त, शेष अवितरित राशि, जिसमें कि अपात्र ग्राम पंचायतों की राशि भी शामिल है, का वितरण केवल 50 या अधिक अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को समग्र अधिभार की तुलना में ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त अंक के औसत अधिभार के अनुपात में किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुबंध-3

अवार्ड अवधि 2015-20 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के लिए सिफारिश किए गए प्राप्त अनुदान हेतु उपयोग प्रमाण पत्र

राज्य का नाम-

ग्रामीण स्थानीय निकाय

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | क्या पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव आयोजित हुए हैं ? (हां/नहीं) | | | | | | |
| 2 | राज्य में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या | | | | टिप्पणियां (अगर कोई हो) | | |
| 3 | कुल ग्राम पंचायतों की संख्या जहां चुनाव हुए हैं | | | | टिप्पणियां (अगर कोई हो) | | |
| 4 | अगले होने वाले चुनाव की तारीख एवं वर्ष | | | | टिप्पणियां (अगर कोई हो) | | |
| 5 | प्राप्त मूल अनुदान का विवरण | वर्ष | किश्त | राशि (लाख में) | प्राप्ति की तारीख | | |
| | | | | | | | |
| 6 | हस्तांतरित मूल अनुदान का विवरण | वर्ष | किश्त | राशि (लाख में) | हस्तांतरण की तारीख | विलम्ब हुए दिनों की संख्या | अगर विलम्ब के लिए ब्याज सहित राशि हस्तांतरित (ब्याज दर सहित)किया गया है। |
| | | | | | | | |
| 7 | प्राप्त निष्पादन अनुदान का विवरण | किस वर्ष के लिए अनुदान प्राप्त | राशि (लाख में) | | प्राप्ति की तारीख | | |
| | | | | | | | |
| 8 | हस्तांतरित निष्पादन अनुदान का विवरण | वर्ष | राशि (लाख में) | | हस्तांतरण की तारीख | विलम्ब हुए दिनों की संख्या | अगर विलम्ब के लिए ब्याज सहित राशि हस्तांतरित (ब्याज दर सहित)किया गया है। |
| | | | | | | | |

यह प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुदान स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया गया है।

अगर विलम्ब के लिए ब्याज सहित राशि हस्तांतरित (ब्याज दर सहित)किया गया है।

सचिव प्रभारी की मोहर के साथ हस्ताक्षर प्रति हस्ताक्षरित।

(पंचायती राज विभाग) सचिव वित्त की मोहर के साथ

http://shasanadesh.up.nic.in